Indian J. Soc. & Pol. 12 (02):87-90: 2025 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2025 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति (एक अध्ययन)

निधि गुप्ता[1]

[1]अतिथि प्राध्यापक, जीवाजी विष्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

ABSTRACT

सृष्टि के आरंभ में नारी अनंत गुणों का आधार रही है। पृथ्वी से क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र सी गंभीरता, चन्द्रमा सी शीतलता, पर्वतों सी मानसिक उच्चता हमें एक साथ नारी हृदय में दृष्टिगोचर होती है, नारी का त्याग व बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे परिवार, समुदाय और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। राष्ट्र निर्माण में महिला केन्द्रीय भूमिका निभाती है। माता और पत्नी के रूप में वह जिन कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है, उन्हीं के आधार पर किसी भी समाज की उन्नति व अवनति आधारित होती है। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव ही एकसमान नहीं रही है इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक काल में महिलाओं का स्थान बहुत सम्मानजनक था, वे सभा व समितियों में भाग लेती थी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदरणीय व प्रतिष्ठित थी। बाद में उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की अवनति शुरू हुई। इस काल में महिला को पूर्णतया स्वतंत्र रहना अनुचित समझा जाने लगा। मध्यकाल में स्थिति और अधिक दयनीय हो गयी। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में तीव्रगति से गिरावट आयी कालान्तर में महिलाओं के उत्थान के लिये पुरूषों और महिलाओं दोनों के द्वारा कड़े प्रयास किये गये जिनमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्र सेन, ज्योतिराव फुले, सावित्री वाई फुले आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये। जिसके फलस्वरूप महिलाओं ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके भारत में ही नहीं वरन विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाते हुए अपनी पुरानी मान्यताओं को बदला है। किन्तु वर्तमान भारत में विगत कुछ वर्षों से यह प्रश्न उठ रहा है कि देश में लोकतन्त्र की अनेक उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं को अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। वह आज भी अनेक स्थानों पर पुरूष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। आज नारी सशक्तिकरण की बात हर जगह हर स्तर पर होती है, परन्तु हकीकत में यह सभी चर्चाऐं निरर्थक हैं क्योंकि नारी के प्रति पुरूष के विचार आज भी नहीं बदले हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता, समाज में उनके आगे आने अथवा पुरूषों से उनकी समानता आदि प्रश्नों के बारे में जब हम सोचते हैं तो आज भी समाज में महिलाओं की एक दयनीय स्थिति उभरकर सामने आती है। प्रस्तुत शोध पत्र वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति पर आधारित है।

KEYWORDS: *परिवार, महिला, पितृसत्तात्मकता, सशक्तिकरण*

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे परिवार, समुदाय और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। राष्ट्र निर्माण में महिला केन्द्रीय भूमिका निभाती है। माता और पत्नी के रूप में वह जिन कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है, उन्हीं के आधार पर किसी भी समाज की उन्नति व अवनति आधारित होती है। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव ही एकसमान नहीं रही है इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक काल में महिलाओं का स्थान बहुत सम्मानजनक था, वे सभा व समितियों में भाग लेती थी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदरणीय व प्रतिष्ठित थी। बाद में उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की अवनति शुरू हुई। इस काल में महिला को पूर्णतया स्वतंत्र रहना अनुचित समझा जाने लगा। मध्यकाल में स्थिति और अधिक दयनीय हो गयी। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में तीव्रगति से गिरावट आयी कालान्तर में महिलाओं के उत्थान के लिये पुरूषों और महिलाओं दोनों के द्वारा कड़े प्रयास किये गये जिनमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्र सेन, ज्योतिराव फुले, सावित्री वाई फुले आदि प्रमुख हैं।

सृष्टि के आरंभ में नारी अनंत गुणों का आधार रही है। पृथ्वी से क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र सी गंभीरता, चन्द्रमा सी शीतलता, पर्वतों सी मानसिक उच्चता हमें एक साथ नारी हृदय में दृष्टिगोचर होती है, नारी का त्याग व बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है।किन्तु वर्तमान भारत में विगत कुछ वर्षों से यह प्रश्न उठ रहा है कि देश में लोकतन्त्र की अनेक उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं को अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। वह आज भी अनेक स्थानों पर पुरूष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। आज नारी सशक्तिकरण की बात हर जगह हर स्तर पर होती है, परन्तु हकीकत में यह सभी चर्चाऐं निरर्थक हैं क्योंकि नारी के प्रति पुरूष के विचार आज भी नहीं बदले हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को भले ही 'महिला सशक्तीकरण वर्ष' के रूप में घोषित किया गया किन्तु क्या हकीकत में महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है ? यह प्रश्न आज भी बना

1: Corresponding Author

हुआ है। सशक्तिकरण तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से चलती रहती है। समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से 19वीं शताब्दी में नारीवादी आन्दोलन का प्रारंभ हुआ और विश्वभर में नारी सशक्तिकरण की बात कही जाने लगी। महिला अधिकारवाद का प्रयोग 19वीं सदी से होता चला आ रहा है जिसकी शुरूआत मताधिकार की मांग से हुयी जिसका परिणाम 'संयुक्त राष्ट्र संघ' द्वारा 8 मार्च 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाने के रूप में हुआ।महिला मताधिकार का प्रयोग 19 वीं शताब्दी से होता आ रहा है जिसकी शुरूआत मताधिकार की मांग से हुयी जिसका परिणाम 'संयुक्त राष्ट्र संघ' द्वारा 8 मार्च 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाने के रूप में हुआ।

भारतीय संविधान में मानव अधिकार

शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। आज की महिला ने भारत में ही नहीं वरन विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाते हुए अपनी पुरानी मान्यताओं को बदला है। भारत को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका रही 'है अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि स्त्रियों को विशेष संरक्षण प्रदान करने में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका रही है, अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि स्त्रियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाये। इसी को दृष्टि में रखते हुए भारतीय महिला आयोग का गठन किया गया जिसमें महिलाओं को विशेष उपबन्धों के जरिये अधिकार प्रदान किये गये। भारतीय संविधान में मानव अधिकारों का वर्णन सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद–25 की उपधारा 2 में अभिवर्णित किया गया है जो इस प्रकार है :–

1– अनुच्छेद 38– भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा और इसी दृष्टि से स्त्रियों को संविधान के कई उपबन्धों में शामिल किया गया है।

2– अनुच्छेद 9 (ड) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति की अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।

3– भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 (च) बालकों और स्त्रियों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाऐं तथा शोषण, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये।

4– अनुच्छेद 42– राज–काज को न्याय संगत और मनौवंचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिये उपबन्ध करेगा।

इस प्रकार 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से ही महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैदिक साहित्य में ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' जैसी कई रचनाओं का उल्लेख मानवाधिकारों की पुष्टि करता है। महिलाओं को भारतीय समाज में और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के द्वारा स्त्री पुरूष समानता कानून बनाया गया। (अनु. 74) तत्पश्चात् हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) विशेष विवाह अधिनियम, 1956 के उत्तराधिकार (1954) अधिनियम के द्वारा सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किये गये। 1992 में ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' तथा महिला बाल विकास का गठन किया गया। तथा 2001 को राष्ट्रीय महिला का गठन किया गया। यह महिलाओं के लिये निश्चय ही एक क्रान्तिकारी कदम था। महिला को और अधिक सशक्त बनाने के लिये भारत सरकार की महिला सशक्तीकरण नीति (2000) एक और कदम था।

अतः ''महिला आरक्षण विधेयक'' जिसमें 11 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत की मांग की जा रही थी, वह कई दशकों के इंतजार के बाद ''महिला आरक्षण बिल'' या 'नारी शक्ति अधिनियम' संसद के दोनों सदनों में 19 सितम्बर 2023 में (128 वॉ संवैधानिक संशोधन) पारित हो गया यह वह विधेयक है, जिसके पारित होने से संसद में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत सुनिश्चित हो जावेगी। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर 73वें, 74 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्तर पर व नगरीय स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक रूप से उभारने का प्रयास 1992 से अब तक किया जा रहा है, जहॉ गांव की महिला घूंघट में रहा करती थी आज वही महिला पंचायत में बैठकर निर्णय लेती है। मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया है साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की है।

20 वीं सदी में महिला संगठनों का प्रारंभ एवं महिला अधिकारों के संगठित प्रयास शुरू हो गये थे। 1917 में महिला भारत संघ, 1920 में भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद, 1926 में अखिल महिला सम्मेलन आदि ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया। 1914 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के एक प्रतिनिधित्व मण्डल ने विट्रिश संसद में पुरूषों के साथ समता के आधार पर स्त्रियों के मताधिकार के मांग पेश की। 1921 के सुधार अधिनियम ने केवल गृहणियों को मताधिकार दिया, जो सम्पन्न तथा शिक्षित थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करॉची अधिवेशन में महिलाओं के मताधिकार को स्वीकार कर लिया गया था।

15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारतीय रणनीतिकारों प्रशासकों और नियोजकों ने महिलाओं का महत्व आंकते हुए समाज में महिलाओं की सहभागिता को महत्वपूर्ण मानते हुऐ महिलाओं की विकास की धारा से जोड़ना प्रारंभ किया। महिलाऐं अब न केवल राजनीति अपितु सभी क्षेत्रों में पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं। आज इसे भारत देश का गौरव ही कहेंगे कि भारत देश की महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,

राज्यपाल राजदूत या अन्य पद पर आसीन हैं और सशक्त रूप से अपनी भूमिका निभा रही हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि नारियों के शिक्षित होने से स्त्रियों की दशा में पर्याप्त सुधार आया है यह वास्तव में एक क्रान्ति है जो कि धीरे–धीरे घटित हुई है और आज महिला प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी है जिससे वह न केवल आत्मनिर्भर महिला बनी है अपितु अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुयी है और उसमें पुरूषों का भी विशेष योगदान है।

अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार द्वारा किये गये प्रयास के बावजूद भी महिला को एक स्वाभाविक सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिससे महिलाऐं अधिकारों व सम्मान की खुली हवा में श्वास ले सके। आज भी कई परिवारों में महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है जिससे वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उन्हें पागल करार कर दिया जाता है जिससे वह परिवार व समाज की नजरों में गिर जाती हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में महिलाओं को घर की चाहरदीवारी से बाहर निकलकर न्यायालय व कानून का सहारा लेना गलत समझा जाता है और इस कारण शिक्षित होने के बावजूद भी अपने अधिकारों का उपयोग न करके अत्याचारों को सहन कर रही हैं अतः इस पुरूष प्रधान देश में जरूरत है, लोगों की मानसिकता में बदलाव की।

अतः यह कहा जा सकता है कि आज स्त्रियों का न केवल शिक्षा अपितु सभी क्षेत्रों में ऊँचा उठाने का दायित्व सम्पूर्ण समाज का है आज समाज को जाग्रत करने की आवश्यकता है। जहॉ तक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है, हमें यह देखना होगा कि संवैधानिक स्तर पर महिलाओं को इतने अधिकार दिये जाने के बाद भी महिलाऐं वास्तव में उन अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं क्योंकि राजनैतिक पार्टियॉ जिन गिनी–चुनी महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारती हैं उनमें से ज्यादातर महिलाऐं राजनीतिक परिवारों से होती हैं, या वे ऐसी पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है जो कि उनकी जीत की राह को आसान बनाती है इसीलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि महिला ही महिला की दुश्मन है, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र कुछ सम्पन्न एवं राजनीतिक महिलाओं तक ही सीमित है और ऐसी स्थिति में ये महिलाऐं आम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देगी।

इसके लिये यह आवश्यक है कि महिलाऐं स्वयं अपने अधिकारों के लिये जागरूक हो जब वे स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में सोचेगी तभी समाज में स्थान बना पायेगी। हमारे संविधान में सैद्धान्तिक रूप से स्त्री व पुरूष को समान अधिकार दिये गये हैं परन्तु व्यवहार में अनेक सामाजिक बाधाऐं है, जो कि उनके विकास में बाधक है इसके लिये स्त्रियों को स्वयं इन बाधाओं को दूर करना होगा। अतः कह सकते हैं कि सरकारी प्रयासों के साथ इस दिशा में व्यक्तिगत प्रयत्न भी किये जाऐं। इस संदर्भ में युग नायक एवं राष्ट्र निर्माता विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है। अतः महिलाओं को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिये जहॉ वे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। हमें महिला शक्ति का उद्धारक नहीं वरन् सहायक बनना चाहिये। इसके लिये आवश्यकता है स्त्रियों को उपर्युक्त अवसर देने की।

निष्कर्ष

आज हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहॉ नारी अपने आपको सशक्त बनायें क्योंकि एक सशक्त व सक्षम नारी ही अपने घर की, समाज की और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आज महिलाऐं अपनी शक्ति व सामर्थ्य को पहचान रही हैं। इतिहास में जिस प्रकार महिलाऐं प्रेरणा की श्रोत रही हैं उसी प्रकार वर्तमान में अनेक महिलाओं की सशक्त भूमिकाऐं निभाकर इतिहास के पन्नों में नाम अंकित कर रही हैं। इंडियन ह्यूमेन डेवलपमेन्ट सर्वे कहता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने दीजिये उनकी संवेदनशीलता कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे घर से बाहर निकले और काम करें बाहर की दुनिया से सम्पर्क बढ़ेगा तो वे खुद संभलने में सक्षम होगी और मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर होगी। नौकरी पेशा महिलाऐं छुई–मुई बनकर दफ्तरों में कार्य नहीं कर सकती इसीलिए वे मुखर हो जाती हैं वे पुरूष की या किसी तरह की ज्यादतियों का मुखर विरोध करने लगती हैं यूनियन से जुड़ी हुई महिलाऐं अपने और दूसरी महिलाऐं के लिये भी संघर्ष करती हैं और उन्हें राहत दिलाती हैं इससे वे अपनी पहचान बना लेती हैं आत्मनिर्भरता महिलाओं में स्वाभिमान पैदा करता है और स्वाभिमान उन्हें चेतना से सम्पन्न करता है और चेतना सामर्थ्य का निर्माण करती है ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके।

REFERENCES

कुमार निर्मल (1990), *भारतीय स्वाधीनता का इतिहास,* सामान्तर प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. सं. 50

कुमार निर्मल, (1990), *भारतीय स्वाधीनता का इतिहास,* सामान्तर प्रकाशन, नई दिल्ली 1990 पृ. सं. 50

कुमावत ललित (2004), पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ. सं. 50

सारस्वत स्वप्निल, (2003), *भारतीय राजनीति और महिलाऐं* अक्षरांकन प्रकाशन, नोयडा पृ. सं. 40

देशाई नीरा ठक्कर, उषा, *वीमेन एण्ड इण्डियन सोसायटी,* नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली पृ. सं. 10

अंसारी एम.ए. (2003), *महिला और मानवाधिकार,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2003 पृ. सं. 125

अवस्थी शैलेन्द्र कुमार, (2004), मानवाधिकार, विधि ओरियन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, आगरा , पृ. सं. 405

कोठारी रजनी, (2005), *'भारत में राजनीति कल और आज'* वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली पृ. सं. 277

सरस्वती मिश्रा, (1974), *भारतीय स्थितियों की परिस्थिति,* शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली पृ. 22